

राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
जयपुर, राजस्थान

क्रमांक: डीसी/डी-3/बीबी -03/2019/ 104

दिनांक 17/4/2019

1. अधीक्षक

समस्त सम्बद्ध चिकित्सालय (समस्त जोन) राजस्थान

2. प्रबन्धक राजस्थान राज्य उपभोक्ता भण्डार सेवा. लि0, राजस्थान

3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय ब्लड बैंक अस्पताल, राजस्थान

4. समस्त राजकीय संस्थान जिन्होंने औषधि अनुज्ञापत्र प्राप्त कर रखे हैं। राजस्थान

विषय :- SSO ID एवं राजकीय ई-मेल बनवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा खुदरा एवं थोक औषधियों के विक्रय, औषधियों के निर्माण एवं ब्लड बैंक इत्यादि के औषधि अनुज्ञापत्र एवं संबंधित कार्य को पारदर्शिता के रूप में किये जाने के लिये अधिकतर सभी सर्विसों को ऑनलाईन कर दिया गया है कुछ शेष रही सर्विस ऑनलाईन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि राजकीय संस्था के लिये जारी औषधि अनुज्ञापत्रों के संबंध में मालिक/पार्टनर/निदेशक/प्रबन्धक/मैनेजर इत्यादि व अन्य संबंधित टेक्नीकल स्टाफ जोकि राजकीय सेवा में कार्यरत है के लिये SSO ID एवं राजकीय ई-मेल DOIT (Department of information Technology) के माध्यम से प्राप्त कर संबंधित विवरण से औषधि नियंत्रण संगठन को अविलम्ब अवगत करवायें एवं ऑनलाईन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालन हेतु संबंधित व्यक्तियों के आधार कार्ड OTP के जरिये ही लॉगिन करने की सुनिश्चिता करें जिससे किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकें। उल्लेखनीय है कि औषधि अनुज्ञापत्रों के लिये मालिक/पार्टनर/निदेशक/प्रबन्धक/मैनेजर इत्यादि व संबंधित टेक्नीकल स्टाफ की SSO ID एवं राजकीय ई-मेल ही मान्य है, किसी अन्य व्यक्ति को मनोनित करना मान्य नहीं है, जिसका नाम औषधि अनुज्ञापत्र में अनुमोदित नहीं है।

(अजय फाटक)  
औषधि नियंत्रक  
राज0 जयपुर  
दिनांक

क्रमांक: डीसी/डी-3/बीबी -03/2019/  
प्रतिलिपि:-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर।
2. समस्त जिलाधीश/प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
3. औषधि नियंत्रक-प्रथम, राज0 जयपुर।
4. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक/औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अपने क्षेत्र में उपरोक्त बाबत सभी संबंधितों को यथा सहयोग प्रदान करें एवं दिये गये निर्देशों की सुनिश्चिता करावें।
5. समस्त डेस्क प्रभारी, औषधि नियंत्रण संगठन, मुख्यालय, जयपुर।
6. प्रभारी स्वरूप, लि० मु० को वाले विभागीय लेखसहित पर अलोक करते हेतु निम्नवाली जालि रहे।

(अजय फाटक)  
औषधि नियंत्रक  
राज0 जयपुर